



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 21.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कोटरा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय (एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कारावास एवं 28,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त अंकित राजपूत पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम ताडौल थाना शाहजहाँपुर जनपद झांसी के विरुद्ध थाना कोटरा पर मु०अ०सं० 12/22 धारा 363/366, 376(3) भादवि व ३/४(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कोटरा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अंकित राजपूत उपरोक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कारावास एवं 28,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री बृजराज सिंह राजपूत
ADGC



श्री विश्वजीत सिंह
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० सुधीर सिंह
कोर्ट मुहर्रिर



हे०का० हरिश्चन्द्र
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

